सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल संख्या 25-17011/173/2021 दिनांक: 4 जुलाई, 2023

वर्ष 2023 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 08

विषय: वापोप चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 2000 के नियम 4 के अनुसार समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षक के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया में संशोधन – संबंधी।

1. इस निदेशालय ने वापोप चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 2000 के नियम 4 के अनुसार समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षक के अनुमोदन हेतु वर्ष 2015 की वापोप सूचना संख्या 01 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए थे।
2. जबकि निदेशालय को समुद्रकर्मियों से कई शिकायतें/परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं कि चिकित्सा परीक्षक चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 2000 के अनुसार परीक्षा नहीं करते हैं। प्राप्त शिकायतें/परिवेदनाएं इस बारे में हैं कि उचित उपस्कार का अभाव है, अपर्याप्त अधिरचना है, और आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और आसपास की जगह स्वच्छ नहीं है, समुद्रकर्मियों की प्रयोगाशाला जांच रिपोर्टों में संदेह बना रहता है और अनुमोदित चिकित्सा केन्द्रों आदि द्वारा समुद्रकर्मियों से लिए जाने वाले शुल्कों में भी समानता नहीं है।
3. इन गंभीर खामियों का संज्ञान लेते हुए और वापोप चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 200 के प्रावधानों के अनुसार एवं वापोप सूचना संख्या 01/2015 के क्रम में इस निदेशालय ने यह निर्णय लिया है कि समुद्रकर्मियों के सभी चिकित्सा परीक्षकों को भविष्य में अनुमोदन दिए जाते समय नए मानदंड जोड़े जाएंगे।

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

4. समस्त विद्यमान अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक जिनके पास एमबीबीएस के अलावा मान्यता प्राप्त डिग्री है वे मान्य रहेंगे और इनका नवीकरण इस आधार पर होगा कि ये समस्त अन्य प्रयोजनीय प्रावधानों का अनुपालन करें। तथापि, इसके बाद सभी चिकित्सा परीक्षकों का अनुमोदन तभी किया जाएगा जब वे समस्त विद्यमान और नीचे लिखे प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
5. इन और प्रावधानों का अनुपालन करना होगा:

ए) चिकित्सक की न्यूनतम योग्यता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस हो।

बी) चिकित्सक का स्वयं का क्लीनिक/अस्पताल हो जिसमें आधारभूत न्यूनतम अधिरचना अपेक्षित है जैसे समुद्रकर्मी के लिए प्रतीक्षा करने हेतु स्थान, परीक्षण कक्ष, जांच करने के लिए प्रयोगशाला, रक्त और मूत्र आदि के नमूने लिए जाने की सुविधा हो जो कि वापोप चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 2000 के दिशानिर्देशों के अनुसार हो।

सी) चिकित्सक के यहां एनएबीएल/एनएबीएच से अनुमोदित जांच प्रयोगशाला हो या फिर उनका टाई-अप एनएबीएल/एनएबीएच प्रयोगशाला से ही हो।

डी) क्लीनिक के अद्यतन खींचे गए चित्रों सहित क्लीनिक से संबंधित भू-प्रलेख (स्वामित्व/पट्टा) का प्रलेखीय प्रमाण अनुमोदन के आरंभ में/नवीकरण के समय उपलब्ध करवाया जाए।

ई) आरंभ में न्यूनतम प्रक्रिया शुल्क 25,000/-रुपए और अनुमोदन के नवीकरण हेतु 10,000/-रुपए के शुल्क का भुगतान भारतकोष के माध्यम से करना होगा जो कि लौटाए जाने योग्य नहीं होगा। नौवहन महानिदेशालय के मैडिकल प्रोफाइल पर पते/संपर्क में परिवर्तन हेतु भारतकोष के माध्यम से 2000/-रुपए का शुल्क देना होगा।

एफ) चिकित्सा परीक्षक के नवीकरण पर तभी विचार किया जाएगा जब उसने मेट्रो शहरों में एक साल में समुद्रकर्मियों की कम से कम 25 चिकित्सा जांचें और मेट्रो से इतर नगरों में 15 जांचें की हों।

जी) यह अनुमोदन मैडिकल फेमिलियराइजेशन कोर्स पूरा होने की तारीख से 5 वर्ष तक, या मैडिकल काउन्सिल के रजिस्ट्रेशन की मान्यता की तारीख तक या फिर चिकित्सा परीक्षक की आयु 65 वर्ष की हो जाने तक में से जो पहले हो उस तक ही मान्य होगा।

एच) जिस चिकित्सा परीक्षक की आयु 65 वर्ष हो जाए और वह अनुमोदन को नवीकृत करवाना चाहे तो वह इस निदेशालय को आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में नवीकरण हेतु 70 वर्ष की आयु तक के लिए ही विचार किया जा सकेगा जो अनुमोदित केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों से फिट होने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

आई) यदि किसी भी समय ऐसा पाया जाता है कि कोई जानकारी गलत दी गई है या इसे असत्य पाया गया अथवा किसी समय ऐसा पता चलता है कि यह अपूर्ण है तो संस्वीकृत किया गया अनुमोदन निरस्त हो जाएगा।

जे) चिकित्सक ऐसे प्रयोगशाला केन्द्रों से विभिन्न जांचों हेतु सहयोग प्राप्त कर सकता है या आउटसोर्स कर सकता है जो एनएबीएल/एनएबीएच अनुमोदित प्रयोगशाला हो। ऐसी दशाओं में, नमूना चिकित्सक के अनुमोदित क्लीनिक पर ही लिया जाएगा।

के) क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम को संस्थानीकृत किया जाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त फीडबैक को निरंतर सुधार की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया है।

इसे नौवहन महानिदेशक, समकक्ष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नितिन मुकेश

(कप्तान नितिन मुकेश)

नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)